प्रधान महालेखाकार का कार्यालय (लेखा एवं हक़),
आन्ध्र प्रदेश, हैदराबाद - 500 004.

OFFICE OF THE PRINCIPAL ACCOUNTANT GENERAL (A&E),
ANDHRA PRADESH HYDERABAD - 500 004.

सत्यमेव जयते PM/VI/2013-14/OG-GO/

दिनांक / Date :

To
The Director of Treasuries and Accounts
4th floor Rajaram Building
Tilak Road Abids
HYDERABAD

Sir,

Sub:- Forwarding of Grant of DR at 80% w e f 01.01.2013 to Bihar pensioners

Ref:- 1. Bihar Govt. Resolutions No 3A-3-Allowances-08/2012-5358/V dt 27.05.2013
2. AG (A&E)-II Bihar, No Pen IX-Spl Seal Authority No 324 dt 07.06.2013

***

I am herewith enclosing a Special Seal Authority issued by the Accountant General (A&E)II, Bihar, Patna in the reference cited. The same is being placed in this office official website (www.ag.ap.nic.in). You are requested to direct all the District Treasury Officers to download the orders and take necessary action at the earliest to minimize hardship to the pensioners.

Yours faithfully,

Sr Accounts Officer

Copy To
1. Joint Director,
Pension Payment Office,
Jambagh, M J Road
Nampally,
HYDERABAD

for information and necessary action.

Sr Accounts Officer

Spl seal PM
378493981
12/6

277380
24/6/13

OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL (A&E), BIHAR, PATNA

No. Pen-IX-Spl. seal Authority No:- 324 Dated – 7/06/2013

To.

The Accountant General (A&E) – 1
Andhra Pradesh,
Hyderabad – 500463

प्रधान महालेखाकार का कार्यालय (लेखा एवं हक)
O/o. Prl. A.G. (A&E)
INWARD
17 JUN 2013
A.P. HYDERABAD-500 004.

Sub.: Grant of Dearness relief of State Government Pensioners.
Bihar Govt. Resolution No.
Date Increased to DA 72% to 80%. and Increased to 166%. from 151% Pre-revised Scale from 01/01/13 (w.e.f)

Sir,

I am to forward herewith Hindi/English version of copies of Govt. of Bihar, Finance Deptt. Resolution No. .... Dated .... for your needful action.

You are requested to circulate this order to all Treasuries/Sub-Treasuries and Public Sector Banks in your Jurisdiction for necessary action.

Please acknowledge the receipt of the same with enclosure.

(1) संख्या-3ए-3-वे०पु०-(महा)-08/2013-5358/वि. दिनांक 27/5/13
(2) संख्या-3ए-2-वे०पु०(महा)-08/2013-5359/ वि. दिनांक 27/5/13

Encl:- Copies of Bihar Govt.
Resolution No.
Dated:

Yours faithfully

Sr. Accounts Officer, Bihar, Patna

Memo No. Pen-IX-Spl.-Bihar Date

Copy forwards for information and necessary action to:

1. Joint Secretary to the Govt. of Bihar, Finance Deptt., Patna.
2. General Secretary, Bihar Pensioner Samaj, Vidya Vasini Sadan, North Sri Krishna Puri, Patna-800013.
3. Accounts Officer I.T.A./Pension-I.

Sr. Accounts Officer, Bihar, Patna.

PM

संख्या–3ए–3–वे०पु०–(भत्ता)–08/2013–5358/वि०

बिहार सरकार

वित्त विभाग

संकल्प

पटना, दिनांकः–27/05/2013

विषयः– राज्य सरकार के पेंशन भोगियों/पारिवारिक पेंशन भोगियों को दिनांक–01.01.2013 के प्रभाव से 72 प्रतिशत के स्थान पर 80 प्रतिशत मंहगाई राहत की स्वीकृति ।

वित्त विभाग के संकल्प सं०–15578, दिनांक– 02.11.2012 के द्वारा राज्य सरकार के पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को केन्द्र के अनुरूप दिनांक–01.07.2012 के प्रभाव से 72 प्रतिशत की दर से मंहगाई राहत की स्वीकृति प्रदान की गयी है, जिसका भुगतान माह जुलाई, 2012 से पुनरीक्षित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के साथ किया जा रहा है।

2. भारत सरकार के कार्यालय ज्ञाप- एफ० नं०–42/13/2012–P&PW(G) दिनांक–02.05.2013 के द्वारा केन्द्र सरकार के पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को दिनांक–01.01.2013 के प्रभाव से मंहगाई राहत की दर 72 प्रतिशत से बढ़ाकर 80 प्रतिशत किया गया है ।

3. राज्य सरकार ने सम्यक विचारोपरांत निर्णय लिया है कि–

(i) राज्य सरकार के पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को दिनांक–01/01/2013 के प्रभाव से पुनरीक्षित पेंशन में 72 प्रतिशत के स्थान पर 80 प्रतिशत की दर से मंहगाई राहत का भुगतान किया जाय।

(ii) मंहगाई राहत का भुगतान मूल पेंशन के आधार पर परिगणित कर किया जाएगा।

(iii) मंहगाई राहत की गणना में 50 पैसे या उससे अधिक पैसे को अगले रुपये में पूर्णांकित कर दिया जाएगा तथा 50 पैसे से कम राशि को छोड़ दिया जाएगा।

(iv) उपर्युक्त मंहगाई राहत की राशि का नगद भुगतान किया जाएगा।

(v) उच्च न्यायालय/बिहार विधान सभा/बिहार विधान परिषद् के पेंशनधारियों को पुनरीक्षित पेंशन में उक्त मंहगाई राहत का भुगतान मुख्य न्यायाधीश, पटना उच्च न्यायालय/अध्यक्ष, बिहार विधान सभा/सभापति, बिहार विधान परिषद् की स्वीकृति से देय होगा।

4. इस बढ़े हुए मंहगाई राहत के दर को जोड़कर पेंशन दिनांक–01/01/2013 से भुगतान के किया जायेगा।

5. पेंशन पर मंहगाई राहत का भुगतान करते समय पेंशन एवं पारिवारिक पेंशन पानेवाले पेंशनरों के संबंध में वित्त विभागीय परिपत्र सं०– 3556 दिनांक–09.05.1991 में समादिष्ट निर्देशों का अनुपालन किया जाना अनिवार्य है जिसमें पुनर्नियोजित पेंशनरों को मंहगाई राहत नहीं देने का प्रावधान किया गया है। उक्त स्थिति को छोड़कर मंहगाई राहत शेष पेंशनभोगियों को देय होगी जिन्हें क्षतिपूर्ति पेंशन, वार्धक्य पेंशन, सेवा निवृति एवं असमर्थता पेंशन प्राप्त है। औपबंधिक पेंशन/पारिवारिक पेंशन एवं असाधारण पेंशन पानेवाले को भी यह राहत देय होगी।

6. पेंशनभोगियों को इस मंहगाई राहत के भुगतान में विलम्ब के परिहार हेतु बिहार कोषागार संहिता, 2011 के नियम 206 के अन्तर्गत महालेखाकार, बिहार से बिना प्राधिकार के ही राहत के भुगतान का आदेश राज्य के अन्दर पेंशन लेने वालो के मामले में दिया जाता है । साथ ही कोषागार/उप कोषागार पदाधिकारियों को यह भी आदेश दिया जाता है कि बैंकों के माध्यम से भुगतान प्राप्त करने वाले पेंशनभोगियों को त्वरित भुगतान कराने के लिए वे सभी सार्वजनिक क्षेत्र के अधिकृत बैंकों को इसकी प्रतियाँ भेज दें। बिहार राज्य के बाहर मंहगाई राहत की निकासी महालेखाकार, बिहार के प्राधिकार पत्र पर ही की जा सकती है । इसके लिए महालेखाकार, बिहार से अनुरोध है कि राज्य के बाहर पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशनभोगियों से संबंधित महालेखाकारों को अविलम्ब पेंशन राहत भुगतान के लिए प्राधिकृत किया जाय तथा इसकी सूचना वित्त विभाग को भी दी जाय ।

7. दिनांक–01.01.2013 के प्रभाव से स्वीकृत मंहगाई राहत के भुगतान करते समय पूर्ववर्त्ती कंडिकाओं में निहित प्रावधानों का दृढ़ता से पालन किया जाय तथा इस मद में भुगतान की जाने वाली राशि की शुद्धता की जांच हर हाल में प्रत्येक भुगतान के समय कर ली जाय। ऐसा करना भुगतान करने वाले पदाधिकारी की जिम्मेदारी होगी।

आदेश– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाय।

ह0/–

(प्रभात शंकर)

अपर सचिव, वित्त विभाग।

ज्ञापांक– 3ए–3–वे०पु० (भत्ता)–08/2013–5358, वि० पटना, दिनांकः–**27/05/2013**

प्रतिलिपि– महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(प्रभात शंकर)

अपर सचिव, वित्त विभाग।

संख्या-3ए-2-वे०पु०(भत्ता)-08/2013-**5359/वि०**

बिहार सरकार

वित्त विभाग

संकल्प

पटना, दिनांकः 27/05/2013

विषयः- अपुनरीक्षित वेतनमान में वेतन/पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के सरकारी सेवकों/पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को दि०-01.01.2013 के प्रभाव से मंहगाई भत्ता/राहत की स्वीकृति ।

वित्त विभाग के संकल्प सं0-1167, दिनांक-05.02.2013 के द्वारा अपुनरीक्षित वेतन प्राप्त करने वाले राज्य कर्मियों को दिनांक-01.07.12 के प्रभाव से 151 प्रतिशत की दर से मंहगाई भत्ता/राहत की स्वीकृति दी गयी थी ।

2. भारत सरकार के वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के कार्यालय ज्ञापांक सं०-1(3)/2008-संस्था-II(B), दिनांक-02.05.2013 द्वारा अपुनरीक्षित वेतन/पेंशन प्राप्त कर रहे केन्द्रीय कर्मियों (यानि जिनका वेतन पुनरीक्षण 01.01.2006 से नहीं हुआ है) को दिनांक-01.01.2013 के प्रभाव से मंहगाई भत्ता/राहत की पूर्व स्वीकृत दर 151 प्रतिशत को संशोधित करते हुए 166 प्रतिशत की स्वीकृति दी गई है ।

3. राज्य सरकार द्वारा सम्यक विचारोपरांत अपुनरीक्षित वेतनमान में वेतन/पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य कर्मियों/पेंशनभोगियों को दिनांक-01.01.13 के प्रभाव से मंहगाई भत्ता/राहत की दरों में निम्नवत् संशोधन करने का निर्णय लिया गया है–

(क) दिनांक-01.01.06 के पूर्व एवं दिनांक-01.01.96 के प्रभाव से लागू पुनरीक्षित वेतनमान (सम्प्रति अपुनरीक्षित) में वेतन प्राप्त करने वाले कर्मियों तथा जिनको 01.01.05 के प्रभाव से मूल वेतन के 50 प्रतिशत राशि के समतुल्य मंहगाई भत्ता की राशि को मंहगाई वेतन के रूप में लाभ दिया जा चुका है, को दिनांक-01.01.2013 के प्रभाव से मंहगाई भत्ता/राहत की दर 151 प्रतिशत से बढ़ाकर 166 प्रतिशत किया जाता है ।

(ख) मंहगाई भत्ता/राहत की राशि का नगद भुगतान किया जाएगा ।

(ग) मंहगाई भत्ता/राहत का मूल वेतन/पेंशन एवं मंहगाई वेतन/पेंशन के सम्मिलित योग के आधार पर परिगणित कर किया जाएगा किन्तु विशेष वेतन/वैयक्तिक वेतन पर मंहगाई भत्ता/राहत अनुमान्य नहीं होगा ।

(घ) मंहगाई भत्ता/राहत की गणना में 50 पैसे से ऊपर की राशि पूर्ण रूपये में पूर्णांकित किया जायेगा तथा 50 पैसे कम राशि को छोड़ दिया जायेगा ।

4. कोषागार पदाधिकारी द्वारा महालेखाकार/वित्त वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग के प्राधिकार पत्र की प्रतीक्षा किये बिना देय भुगतान तत्काल औपबन्धिक रूप से कर दिया जाएगा ।

5. पेंशन भोगियों को इस मंहगाई राहत के भुगतान में विलम्ब के परिहार हेतु बिहार कोषागार संहिता, 2011 के नियम 206 के अंतर्गत महालेखाकार, बिहार से बिना प्राधिकार के ही राहत के भुगतान का आदेश राज्य के अन्दर पेंशन लेने वालों के मामलों में दिया जाता है । साथ ही, कोषागार पदाधिकारियों को यह भी आदेश दिया जाता है कि बैंकों के माध्यम से भुगतान प्राप्त करने वाले पेंशनभोगियों को त्वरित भुगतान कराने के लिए वे सभी सार्वजनिक क्षेत्र के अधिकृत बैंकों को इसकी प्रति भेज दें । बिहार राज्य के बाहर मंहगाई राहत की निकासी महालेखाकार, बिहार के प्राधिकार पत्र पर ही की जा सकती है। इसके लिए महालेखाकार, बिहार से अनुरोध है कि राज्य के बाहर पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशनभोगियों से संबंधित महालेखाकार को अविलम्ब पेंशन राहत भुगतान के लिए प्राधिकृत किया जाय तथा इसकी सूचना वित्त विभाग को भी दी जाय ।

6. उच्च न्यायालय/बिहार विधान सभा/बिहार विधान परिषद् के कर्मियों को अपुनरीक्षित वेतनमान में उक्त मंहगाई भत्ता/राहत का भुगतान मुख्य न्यायाधीश, पटना उच्च न्यायालय/अध्यक्ष, बिहार विधान सभा/सभापति, बिहार विधान परिषद् की स्वीकृति से देय होगा ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/-

(प्रभात शंकर)

अपर सचिव, वित्त विभाग ।

ज्ञापांक- 3ए-2-वे०पु०(भत्ता)-08/2013-**5359/वि0**, पटना, दिनांकः-**27/05/2013**

प्रतिलिपि :- महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

27.5.13

(प्रभात शंकर)

अपर सचिव, वित्त विभाग ।

Pen-1
29/5

040613H0096